

हकाय जा...  
कायम जा...  
कायम जा...

20/4/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।  
P.O. साहब चुनाव कार्य/साहब/दौरे/भवकाश  
पर पेश। पत्रावली पूर्ण करे/साहब/दौरे/भवकाश  
दिनांक 13/4/26 को पेश हो।

13/4/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।  
उत्तिकादी संख्या 24 के LR शाकिली प्राप्त।  
उत्तिकादी संख्या 45 के LR शाकिली रिपोर्ट  
हेतु पत्रावली दिनांक 27/3/26 को पेश हो।

W/P  
उपखण्ड अधिकारी  
अराँद (अजमेर)

27/3/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।  
P.O. साहब चुनाव कार्य/साहब/दौरे/भवकाश  
पर पेश। पत्रावली पूर्ण करे/साहब/दौरे/भवकाश  
दिनांक 14/4/26 को पेश हो।

11/4/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।  
संख्या 45 के LR तथा संयोजित शीर्षक हेतु  
दिनांक 17/4/26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
अराँद (अजमेर)

17/4/26 पत्रावली पेश हुई। उत्तिकादी संख्या 45 के LR के  
ताम्रीलशुदा सम्मन शाकिली लिखल किये गये।  
तहसीलदार अराँद द्वारा निवेदन किया गया कि यदि  
राजस्व नकशे अनुसार पत्थरगरी ली जाती है तो  
उन्हे कोर्ट आपत्ति नहीं है। आज बार एसो-सिस्टम  
द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली अग्रिम कार्यावली  
हेतु दिनांक 22/5/26 को पेश हो।

राजस्व नकशे  
अनुसार पत्थर  
गरी में आपत्ति  
नहीं है।  
के.डी.  
चौधरी-सिन्हा

W/P  
उपखण्ड अधिकारी  
अराँद (अजमेर)

22/5/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।  
प्राप्ति/वारी का कार स्विकार किया जाकर  
तहसीलदार अराँद को पत्थरगरी के शीर्षक दिए  
जाते हैं। आदेश पृथक से तैयार कर शामिल  
मिलाल किया गया है। पत्रावली फैसल शुमार  
दीकर नम्बर से कम है।

W/P  
उपखण्ड अधिकारी  
अराँद (अजमेर)